संख्या-11/2024/197/77-6-23-6002(099)/1/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. संयुक्त आयुक्त,
   उद्योग,
   कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. उपायुक्त,
   उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,
   अयोध्या।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 28/02/2024**

विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को रू. 3,72,44,416.00 (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) की वितीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र संख्या-1531/सं0आ0उ0(का0मं0)/IIEPP&MEME/2022-23, दिनांक 15.03.2023, पत्र संख्या-1574/सं0आ0उ0(का0मं0)/IIEPP&MEME/2022-23, दिनांक 24.03.2023 एवं उपायुक्त, उद्योग, अयोध्या के पत्र संख्या-1596/उपा0उ0/जि0उ0प्रो0तथाउ0वि0के0/अयो0/डिस्बर्समेंट/बजट/2022-23, दिनांक 5.12.2022, पत्र संख्या- पत्र संख्या-2110/सं0आ0उ0/अयो0/डिस्बर्समेंट/आईआईईपीपी/पॉलिसी/2017, दिनांक 17.03.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है-

धनराशि(रूपये में)

क्रमांक	**एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स का नाम**	**मण्डल**	**मद का नाम**	**धनराशि रूपये में**
1	मे0 बजरंगबली स्नैक्स प्रा0लि0	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	32,90,382.00
2	मे0 मॉर्डन स्नैक्स प्रा0लि0	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	36,78,470.00
3	मे0 क्लासिका पैकेजिंग	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	15,62,170.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	मे0 रेज पॉलीमर्स प्रा0लि0	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	22,87,239.00
5	मे0 एपेक्स कोंटर्स एण्ड प्रिंटर्स	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	25,33,898.00
6	मे0 सिलीगुड़ी बारदाना कम्पनी	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	41,000.00
7	मे0 ए0के0 इण्डस्ट्रीज	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	26,56,302.00
8	मे0 सफारी केमिकल्स प्रा0लि0	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	292.00
9	मे0 हाइटेक प्लास्ट	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	58,929.00
10	मे0 सागर फूड प्रोड्क्टस	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	1,81,297.00
11	मे0 बिहारीलाल अमृतलाल	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	40,18,120.00
12	मे0 सिंघल ट्यूब्स	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	3,97,477.00
13	मे0 वॉरीवार प्लास्ट इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	29,76,253.00
14	मे0 पैनियर पैकेजर्स प्रा0लि0, सचेंडी, कानपुर नगर	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	1,09,07,257.00
15	मे0 माधव पाईप्स, औद्योगिक क्षेत्र 2, चकेरी, कानपुर नगर	कानपुर मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	17,08,133.00
16	मे0 हाईफ्लो इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, सी0-04 इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-2 मुमताजनगर, अयोध्या	अयोध्या मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	4,56,197.00
17	मेसर्स टू पावर अर्थिंग्स प्रा0लि0, बाराबंकी	अयोध्या मण्डल	एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति	4,91,000.00
	योग			**3,72,44,416.00**

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु रू. 3,72,44,416.00 (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) की धनराशि (क्रमशः रू. 3,62,57,219.00 एवं रू. 9,47,197.00) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व अवस्थापना एवं औद्यागिक निवेश नीति 2017 तद्क्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो अवस्थापना एवं औद्यागिक निवेश नीति 2017 तद्क्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू रू. 3,72,44,416.00 (रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608002000 नई औद्योगिक नीति **मानक मद** 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधारित अधिकारी के अंतर्गतनिर्गत किय जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2024/197(1)/77-6-24-6002(099)/1/2023 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2) अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3) प्रबंध निदेशक, पिकप।
4) निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/अयोध्या।
6) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10) नियोजन अनुभाग-1/4
11) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in